UPSI180000602022
न्यायालय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur
पीठासीन अधिकारी- (Amit Singh), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02519**

मूलवाद सं० Civil Suit/3/2022
Ayush Subhash Singh Vs. Ashok kumar and Others

03.01.2022

वादी द्वारा **श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा एडवोकेट** के माध्यम से वाद–पत्र बाबत **स्थाई निषेधाज्ञा**, प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिला जवाबदावा एवं वास्ते विरचन वादबिन्दु दिनांक–02.02.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

प्रार्थना–पत्र 6ग2

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र 6ग2 समर्थित शपथ–पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी/प्रार्थी गाटा सं0 427 रक्बा 0.379 हे0 स्थित ग्राम भेथरा माधव परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर का मालिक, काबिज व संक्रमणीय भूमिधर है। वादीय भूमि शिक्षण संस्थान में प्रयोजित होती है, किन्तु वर्तमान समय में वादग्रस्त भूमि में कोई फसल नहीं बोई हुई हैं। प्रतिवादीगण जिनका वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता–सरोकार नहीं है, वे वादग्रस्त भूमि में कब्जा करके निर्माण कार्य कर लेना चाहते हैं। उपरोक्त कारणवश दौरान मुकदमा के लिए प्रतिवादी/विपक्षीगण को निषेधित कर दिया जाय। वादी/प्रार्थी की ओर से सूची 9ग से 10ग खतौनी, 11ग खसरा, दाखिल किया गया है।

वादी/प्रार्थी की ओर से दाखिल 10ग नकल खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि गाटा सं0 427 रक्बा 0.379 हे0 पर वादी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र 6ग2 के समर्थन में एवं विवादित भूमि पर अपने अध्यासन के समर्थन में शपथ–पत्र का0 सं0 7ग2 एवं 11ग नकल खसरा दाखिल किया गया है। वादी/प्रार्थी द्वारा दाखिल राजस्व प्रपत्रों तथा शपथ–पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी/प्रार्थी का बनता है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नियत तिथि तक के लिए विपक्षी/प्रतिवादीगण को वादी/प्रार्थी की उपरोक्त भूमि गाटा सं0 427 रक्बा 0.379 हे0 पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषेधित कर दिया जाय। तद्नुसार इस स्तर पर विवादित स्थल को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अग्रिम नियत तिथि तक प्रतिवादी/विपक्षीगण वादग्रस्त गाटा सं0 427 रक्बा 0.379 हे0 स्थित ग्राम भेथरा माधव परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। यह आदेश मात्र वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादी/विपक्षीगण के मध्य ही प्रभावी होगा। इस आदेश का प्रभाव सीमांकन कराने वाले सक्षम प्राधिकारी पर नहीं पड़ेगा। वादी/प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 जा0दी0 का अनुपालन अविलम्ब करे। वादी/प्रार्थी के पैरवी करने के उपरान्त ही इस आदेश की प्रति जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6ग2 दि0 17.01.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

प्रार्थना–पत्र 8ग2

प्रार्थी/वादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 8ग2 बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना–पत्र 8ग2 स्वीकार किया जाता है। न्यायालय अमीन/कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु रिट जारी हो। वादीगण पैरवी करे। बाद पैरवी कमिश्नर नियत तिथि तक कमीशन कार्य निष्पादित कर अपनी आख्या व पैमाईशी मानचित्र प्रस्तुत करें।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

अजय/स्टेनो